

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 16 मई, 2008 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पच्चीसवीं (25वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 16 मई, 2008 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

**(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

1. ग्राम गंभीरम, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम गंभीरम, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम सेहसोला, तहसील तौरु, जिला नूह, हरियाणा में 18.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रिमोर्स बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सेहसोला, तहसील तौरु, जिला नूह, हरियाणा में 18.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रिमरोज बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम पवाला खुसरोपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 18.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि एसईजेड में एक सेक्टर रोड मौजूद है जिस पर विकासक का कब्जा नहीं है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि रोड को एसईजेड के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सेहसोला, तहसील नौरु, जिला नूह, हरियाणा में 18.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक

क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रिमरोज बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व एसईजेड के बाहर रोड को शिफ्ट करने तथा एसईजेड की सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए विकासक द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

4. गुड़गांव सोहना रोड (स्टेट हाईवे), राजस्व ग्राम घमरोज, भोंडसी एवं महेदवाड़ा, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 34.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रोग्रेसिव बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि एसईजेड के अंदर भूमि के कुछ टुकड़े हैं जिन पर विकासक का कब्जा नहीं है। हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि से स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि यदि विकासक का एसईजेड के अंदर भूमि के इन टुकड़ों पर कब्जा नहीं है तो एसईजेड को रास्ता कैसे प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव सोहना रोड (स्टेट हाईवे), राजस्व ग्राम घमरोज, भोंडसी एवं महेदवाड़ा, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 34.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रोग्रेसिव बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक एसईजेड के अंदर ऐसे प्लॉटों को बाहर करेगा जो उसके कब्जे में नहीं हैं और एसईजेड की सन्निकटता को प्रभावित किए बगैर भूस्वामियों को समुचित रास्ता प्रदान करेगा, जिस हद तक एसईजेड का क्षेत्रफल कम किया जाएगा।

5. कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड का प्रस्ताव (मद संख्या 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निर्वाचन आयुक्त से संचार दिनांक 9 मई 2008 प्राप्त हुआ है जिसमें सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। तदनुसार, आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रस्तावों पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया :

1. सर्वे नंबर 1058, 1050 और 1060, करीमनगर टाउन, जिला करीमनगर, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1):
2. सर्वे नंबर 948, चिनाकोंडूर (पूर्व), आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एडिक्टिव सहित फार्मास्युटिकल उत्पादों एवं चिकित्सा डिवाइसों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2):
3. अकुटोटापल्ली, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र एवं परिधान, गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3):
4. ग्राम मुधवीन, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि एवं पशुधन उत्पाद तथा संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4):
5. ग्राम देसरापल्ली, मुगुलू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5):
6. ग्राम मामिडीपल्ली, सरूर नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 6):
7. ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 41.0456 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 7):
8. ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 16.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 8):
9. ग्राम चोक्कनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 13):
10. गगरेट, ऊना जिला, हिमाचल प्रदेश में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट आधारित एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव (मद संख्या 2)

मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा हुई। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह मुद्दा उठाया कि प्रस्ताव में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने की परिकल्पना है जिसमें अधिक मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी जिससे प्रसंस्करण क्षेत्र न्यूनतम निर्धारित 50 प्रतिशत से कम हो जाएगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की कि विकासक भूमि की पहचान कर चुका है तथा उसे खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि सैद्धांतिक अनुमोदन इस शर्त के अधीन प्रदान किया जा सकता है कि प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता आदि के संबंध में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत विकासक द्वारा एसईजेड की स्थापना के समय सभी सांविधिक आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। तथापि, हिमाचल प्रदेश में इस समय चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक के लिए निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 4: मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स केनेक्सा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदन के लिए मैसर्स केनेक्सा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 5: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध**

(i) भडूच जिला, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जुबिलेंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	विद्युत उत्पादन	50 मेगावाट	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए 50 मेगावाट
2.	क्लीनिक एवं चिकित्सा केन्द्र / अस्पताल	1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ 20 बेड का मिनी हास्पिटल	1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ 20 बेड का मिनी हास्पिटल
3.	स्कूल / शैक्षिक संस्था	2500 वर्गमीटर	2500 वर्ग मीटर
4.	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	गेस्ट हाउस रूम (30 नग)	गेस्ट हाउस रूम (30) सर्विस अपार्टमेंट (20)

		सर्विस अपार्टमेंट (20) 4000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ	4000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ
5.	व्यवसाय / सुविधा केन्द्र	7500 वर्गमीटर	7500 वर्गमीटर
6.	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय स्थान / वाणिज्यिक स्थान	5000 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर
7		75000 वर्गमीटर	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 30,000 वर्गमीटर और प्रसंस्करण क्षेत्र में 45,000 वर्गमीटर
गैर प्रसंस्करण क्षेत्र की गतिविधियों का ब्यौरा (30,000 वर्गमीटर) :			
	बैंक काउंटर / आफशोर बैंकिंग यूनिट / डाक घर / कूरियर कंपनी के लिए स्थान		6000 वर्गमीटर
	ट्रैवल एजेंट कार्यालय / कस्टम हाउस एजेंट / पोत परिवहन कंपनी / सड़क परिवहन कंपनी		4000 वर्गमीटर
	रेस्टोरेंट / फास्ट फूड सेंटर / वर्कर्स कैंटीन		7,000 वर्गमीटर
	मनोरंजन केन्द्र / जिम		6,000 वर्गमीटर
	प्रदर्शनी केन्द्र		6500 वर्गमीटर
	पुलिस चौकी आदि		500 वर्गमीटर
			कुल : 30,000 वर्गमीटर
प्रसंस्करण क्षेत्र की गतिविधियों का ब्यौरा : (45,000 वर्गमीटर)			
	परीक्षण प्रयोगशालाएं / अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं		5,000 वर्गमीटर
	सेंट्रल वर्कशाप - यांत्रिक / विद्युतीय / इंस्ट्रूमेंटेशन		5,000 वर्गमीटर
	फायर स्टेशन / फायर वाटर स्टोरेज टैंक, फायर टैंडर आदि		9,000 वर्गमीटर
	वेयरहाउस / लाजिस्टिक हाउस, पार्किंग टर्मिनल		26,000 वर्गमीटर
			कुल क्षेत्रफल : 45,000 वर्गमीटर

(ii) सोहना रोड, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर प्रस्तुति देने के लिए विकासक उपलब्ध नहीं था। तथापि, विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.			आस्थगित कर दिया गया।
2.	आवास एवं आवासीय अपार्टमेंट (821 यूनिटें)	98,586 वर्गमीटर	120 वर्गमीटर के औसत आकार के साथ 800 यूनिटें (कुल 96000 वर्गमीटर)
3.	क्लीनिक एवं मेडिकल सेंटर	7,702 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 20 बेड का मेडिकल सेंटर
4.	शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान / स्कूल	7,702 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर
5.			आस्थगित कर दिया गया। औचित्य के साथ वापस आ सकते हैं।
6.	कार्यालय स्थान एवं वाणिज्यिक स्थान	23,106 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर
7.	विद्युत उत्पादन	85 मेगावाट	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए 85 मेगावाट

(iii) सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	अनुमोदित मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.			आस्थगित कर दिया गया
2.	सर्विस अपार्टमेंट / आवासीय अपार्टमेंट 500 यूनिटें	35,976 वर्गमीटर	70 वर्गमीटर के औसत आकार के साथ 500 यूनिटें
3.	क्लीनिक एवं मेडिकल सेंटर	2,803 वर्गमीटर	2500 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 10 बेड का मेडिकल सेंटर
4.	शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान	3,115 वर्गमीटर	3,115 वर्गमीटर
5.			आस्थगित कर दिया गया
6.	कार्यालय स्थान एवं वाणिज्यिक स्थान	14,897 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर
7.	विद्युत उत्पादन	22 मेगावाट	22 मेगावाट

(iv) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक के रूप में मैसर्स पेरोट सिस्टम टीएसआई इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. संख्या	मद	मात्रा
1	मेडिकल सेंटर	450 वर्ग फीट
2	बेसमेंट / प्लिंथ पार्किंग	77000 वर्गफीट

विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में ट्रेवल डेस्क तथा बैंक एटीएम के लिए स्थान प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। अध्यक्ष ने पुष्टि की कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं अनुमत हैं। तथापि, स्पष्ट किया गया कि केवल बैंक एटीएम के लिए ड्यूटी फ्री स्पेस अनुमत होगा तथा एटीएम मशीनें ड्यूटी फ्री नहीं होंगी।

(v) नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां :

क्र. सं.	मद / मात्रा
1	स्थल विकास एवं कार्य
2	मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) - 2,20,000 वर्गमीटर के सर्फेस पर
3	(पहले अनुमोदित हो चुका है)
4.	बस बे - 1000 वर्गमीटर
5.	फायर स्टेशन, स्पिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम - 14,500 वर्गमीटर
6.	ट्रक टर्मिनल - 7000 वर्गमीटर
7.	दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाओं जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सेवा प्रदायगी केंद्र - 10500 वर्गमीटर
8.	इनलैंड कंटेनर डिपो - 200000 वर्गमीटर (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर)

9.	कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण सहित ईंधन स्टेशन (निर्माण उपकरणों एवं डीजी के लिए) 2 - प्रसंस्करण क्षेत्र में और 1 गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि विकासक इस विशिष्ट मद के संबंध में मात्रा के साथ वापस आ सकता है।
----	---

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां :

क्र. सं.	मद / मात्रा
1	सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय और कूड़ा संग्रहण केंद्र आदि - 500 वर्गमीटर
2.	बस बे - 1000 वर्गमीटर
3.	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां - 500 वर्गमीटर
4.	मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) (000 कारों के लिए) - 2,00,000 वर्गमीटर
5.	फायर स्टेशन, स्पिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम - 14500 वर्गमीटर
6.	ट्रक टर्मिनल - 3000 वर्गमीटर
7.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस - शुरू में 10,000 वर्गमीटर (विकासक अतिरिक्त अनुरोध, यदि कोई हो, के लिए बाद में वापस आ सकता है)
8.	जेट्टी - 3 - आस्थगित कर दिया गया विकासक जेट्टी के आकार एवं क्षेत्रफल के साथ वापस आएगा।
9.	हेलीपैड - आस्थगित कर दिया गया विकासक जेट्टी के आकार एवं क्षेत्रफल के साथ वापस आएगा।
10.	कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण सहित ईंधन स्टेशन (निर्माण उपकरणों एवं डीजी के लिए) - 1 - आस्थगित कर दिया गया विकासक जेट्टी के आकार एवं क्षेत्रफल के साथ वापस आएगा।

विकासक ने अनुरोध किया कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 50 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उनको प्रदान किए गए पिछले अनुमोदन को प्रसंस्करण क्षेत्र में इसकी स्थापना के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। पुष्टि की गई कि यह कैप्टिव प्रयोग के लिए है। विकासक ने यह भी अनुरोध किया कि लेबर हाउस जो पहले अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदित किया गया है, को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने इन अनुरोधों पर विचार किया है तथा उनको मंजूरी प्रदान की।



(vi) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

**प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां :**

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(क)	आईटी / आईटीईएस भवन	1,37,746
(ख)	आवश्यक वाणिज्यिक सुविधाएं - माइक्रो शॉपिंग (यूटिलिटी स्टोर / एटीएम)	2,323
	फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट आदि	929
(ग)	सुविधा प्रबंध कार्यालय	1,022
(घ)	सुविधाएं - ऊर्जा केंद्र आदि	4,390
	कुल प्रसंस्करण क्षेत्र	1,46,410

- स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
- निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- एयर कंडिशनिंग
- क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
- पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
- बस बे
- वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
- ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां :**

- (क) आवास और/या सर्विस अपार्टमेंट [26,467 वर्गमीटर और यूनिटों की संख्या 225 (लगभग)]
- (ख) पॉलिटेक्निक / डायग्नोस्टिक सेंटर तथा नर्सिंग होम - 2400 वर्गमीटर में 20 बेड के साथ
- (ग) प्रशासनिक ब्लॉक (1,161 वर्गमीटर)
- (घ) सुविधाएं - ऊर्जा केंद्र आदि (4,390 वर्गमीटर)
- (ङ) कार्यालय स्थान (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में - वर्गमीटर) - 10,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं तथा 20,000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में प्रशिक्षण केंद्र
- (च) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) (प्रसंस्करण क्षेत्र एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र - 2,20,000 वर्गमीटर)

- (छ) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित) (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र - 5.5 मेगावाट कैप्टिव प्रयोग के लिए) - कुल 25 मेगावाट, 22 मेगावाट प्रसंस्करण क्षेत्र में और 3 मेगावाट गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में
- (ज) कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं :

(i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लगभग 700 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में अत्याधुनिक जिम तथा स्पा की सुविधा परियोजना के अधिभोक्ताओं का तनाव दूर करने के लिए</li> <li>• परियोजना के अधिभोक्ताओं का तनाव दूर करने तथा निवारक रोगहर देखभाल के लिए आयुर्वेदिक थिरेपी सह योग सेंटर</li> <li>• परियोजना में काम करने वाले दंपतियों के कल्याण के लिए 400 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में डे केयर सेंटर, क्रेच और प्ले स्कूल</li> </ul>	कुल 1600 वर्गमीटर
(ii)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1250 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में क्लब हाउस सह मनोरंजन केन्द्र डायनिंग, स्वीमिंग तथा मनोरंजन की अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए सामुदायिक सुविधाएं / अवसर प्रदान करना</li> <li>• लगभग 1250 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में अत्याधुनिक इंडोर क्रीडा केन्द्र जिसमें बिलियर्ड / पूल / टेनिस टेबल, स्क्वैश तथा बैडमिंटन कोर्ट और इंडोर टेनिस कोर्ट आदि की सुविधाएं होंगी</li> </ul>	कुल 2500 वर्गमीटर

- (झ) शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र - 5822 वर्गमीटर)
- (ञ) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र - 500 वर्गमीटर)
- (ट) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
- (ठ) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- (ड) एयर कंडिशनिंग
- (ढ) बस बे
- (ण) वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
- (त) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

(vii) गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1. कार्यालय स्थान और/या शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस और/या मल्टीप्लेक्स - 50,000 वर्गमीटर
2. आवासीय / आवासन - 6000 यूनिट X 100 वर्गमीटर = 6,00,000 वर्गमीटर
3. सर्विस अपार्टमेंट - 250X 75 = 15,000 वर्गमीटर
4. 10,000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में क्लीनिक और/या मेडिकल सेंटर / 100 बेड का अस्पताल
5. स्कूल और/या तकनीकी संस्था और/या शैक्षिक संस्था - 25,000 वर्गमीटर
6. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।
7. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।
8. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।
9. केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित) (100 मेगावाट) - केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए
10. रेल हेड आस्थगित कर दिया गया। विकासक ब्यौरे के साथ वापस आए।
11. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
12. स्वीमिंग पूल - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।
13. फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
14. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।
15. कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।
16. खेल के मैदान
17. बस बे
18. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस - आस्थगति कर दिया गया विकासक क्षेत्रफल के साथ वापस आए।

(viii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में रेल टर्मिनल की स्थापना के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड में निर्मित करने के लिए प्रस्तावित रेल टर्मिनल ट्रैफिक एवं कार्गो की आवश्यकताएं पूरी करेगा जो एसईजेड तथा गैर एसईजेड प्रयोग दोनों के लिए है। टिप्पणी की गई कि आयतन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए है। चूंकि एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एसईजेड में सृजित करने के लिए प्रस्तावित सामाजिक

अवसंरचना मुख्य रूप से एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र, न कि डीटीए की सहायता के लिए है, इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक एसईजेड की आवश्यकताओं के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष संशोधित प्रस्ताव की विस्तृत प्रस्तुति देने की सलाह दी।

**(ix) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का अनुरोध**

विकासक ने अपनी आवश्यकता पर प्रस्तुति दी। विकासक ने सूचित किया कि वे गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए कोई ड्यूटी छूट प्रदान करने की मांग नहीं कर रहे हैं। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया। विकासक अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति देगा।

**(x) थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीरीन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध को विचार किया तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	गतिविधि	मात्रा (वर्गफीट में)
1.	कैंटीन / कैफेटीरिया / रेस्टोरेंट	298.97 वर्गमीटर
2.	सम्मेलन कक्ष के साथ बिजनेस सेंटर	457.52 वर्गमीटर
3.	फिटनेस सेंटर के साथ जिम	200.09 वर्गमीटर
4.	मनोरंजन की इंडोर सुविधाएं	434.27 वर्गमीटर
5.	शौचालय / पैंट्री / स्टोर	222.50 वर्गमीटर
6.	लान टेनिस कोर्ट	1268.35 वर्गमीटर
7.	बास्केट बाल कोर्ट	360.59 वर्गमीटर
8.	स्वीमिंग पूल	202.99 वर्गमीटर

**(xi) तुमुकुंटा एवं गोल्लापुरम गांव, हिंदूपुर (एम), जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में अपैरल पार्क सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नियोजन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत गतिविधियों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकास आयुक्त सामाजिक अवसंरचना के निर्माण की अनुमति तभी प्रदान करेंगे जब एसईजेड में

यूनिटें स्थापित करने के लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाएंगे। निम्नलिखित गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की गई :

क्र. सं.	गतिविधि	मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	शॉपिंग अर्काडे / रिटेल स्पेस / कामर्सियल स्पेस	50,000 वर्गमीटर	25,000 वर्गमीटर
2.	आवासीय स्थान / आवासन / सामूहिक शयन कक्ष	75,000 वर्गमीटर	सामूहिक शयन कक्ष - 40,000 वर्गमीटर पर्यवेक्षी स्तर के मकान - 20,000 वर्गमीटर प्रबंधकीय स्तर के मकान - 75X100 = 7500 वर्गमीटर
3.	स्कूल / शैक्षिक संस्थाएं	25,000 वर्गमीटर	10,000 वर्गमीटर
4.	क्लीनिक / मेडिकल सेंटर	अधिकतम 100 बिस्तर वाला अस्पताल	100 बिस्तर वाला अस्पताल

(xii) अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड में बैंक स्थापित करने के लिए मैसर्स जायडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामान्य सुविधा केंद्र में निर्मित करने तथा और किसी बैंक शाखा को देने के लिए लगभग 250 वर्गमीटर स्थान आवंटित करने के लिए मैसर्स जायडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : विकासक के नाम में परिवर्तन करने / नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) औपचारिक अनुमोदन में विकासक का नाम मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (कोलकाता) लिमिटेड से बदलकर मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (कोलकाता) लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया तथा कंपनियों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न की जांच के बाद उसे मंजूरी प्रदान की।

(ii) सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को मैसर्स अंसल कामधेनु इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड जो एसपीवी कंपनी है, को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी। सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि विकासक ने अपने प्रस्ताव में बताया है कि अनुमोदन के समय भूमि सीगुल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उनके नामितियों के नाम में थी जिनके साथ संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भी बताया गया कि उस समय भूमि पर विकासक का कानूनी कब्जा नहीं था जब मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि विकासक को प्रदान किया गया पिछला अनुमोदन वापस लिया जा सकता है। हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक ने राज्य में लागू भूमि परसीमन अधिनियम के कारण यह व्यवस्था की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक एसपीवी कंपनी के नाम में नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जिसका भूमि पर कानूनी कब्जा है।

(iii) सैद्धांतिक अनुमोदन को मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से मैसर्स नागपुर मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी विकासक की कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स नागपुर मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) सैद्धांतिक अनुमोदन को मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से मैसर्स औरंगाबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी विकासक की कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स औरंगाबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) सैद्धांतिक अनुमोदन को मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी विकासक की कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) सैद्धांतिक अनुमोदन को मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से मैसर्स नांदेड़ जेम्स एसईजेड लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी विकासक की कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स नांदेड़ जेम्स एसईजेड लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

**मद संख्या 7: क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध**

(i) सोहना रोड, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए उपर्युक्त अनुरोध को आस्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि विकासक ने उनको भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है। अनुमोदन बोर्ड ने संबंधित विकास आयुक्त को सन्निकटता आदि का सुनिश्चय करने के लिए क्षेत्र की जांच करने का भी निदेश दिया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाए। अनुमोदन बोर्ड ने संबंधित विकास आयुक्त को सन्निकटता आदि का सुनिश्चय करने के लिए क्षेत्र की जांच करने का भी निदेश दिया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाए। अनुमोदन बोर्ड ने संबंधित विकास आयुक्त को सन्निकटता आदि का सुनिश्चय करने के लिए क्षेत्र की जांच करने का भी निदेश दिया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 8: एसईजेड के क्षेत्रफल एवं लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध**

(i) लोकेशन में परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स मान इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर विचार करने को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को कुछ और समय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

(ii) ग्राम घाटा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स पायनियर अर्बन लैंड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम घाटा, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स पायनियर अर्बन लैंड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 10 : सूरत एसईजेड के विस्तारित क्षेत्र में रिक्तता तथा सार्वजनिक रास्ता से संबंधित मुद्दा**

जोन के विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि मौजूदा क्रियाशील सूरत एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को अधिसूचित करने की समस्याओं में से एक यह है कि इससे होकर एक सार्वजनिक रास्ता जा रहा है जिसे अब एक पक्का बैरियर से बंद कर दिया गया है। तथापि, शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल भी खाली नहीं है। भवनों में से एक अभी भी एक काश्तकार के कब्जे में है जो ट्रेडिंग की कुछ गतिविधियां चला रहा है। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि काश्तकार को निकालने से पूर्व अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रिक्तता का मुद्दा ईजीओएम के समक्ष है और इसलिए ईजीओएम में रिक्तता के मुद्दे पर निर्णय होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या 11 : तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एमएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड पर विचार करने तथा सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए भी मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 1020 हेक्टेयर का क्षेत्रफल जिसके लिए बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था, टिडको तथा उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स एमएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से धारित है। चूंकि भूमि टिडको के पूर्ण कब्जे में नहीं है और आंशिक रूप से जेवी पार्टनर द्वारा धारित है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद निदेश दिया कि दोनों पार्टनर एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (10) के अंतर्गत नए अनुमोदन के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर दोनों पक्षों द्वारा एसपीवी का गठन किया जा सकता है तथा एसपीवी के नाम में भूमि ट्रांसफर की जा सकती है जो नए आवेदन के माध्यम से विकासक के स्टेटस के लिए आवेदन कर सकता है।

**मद संख्या 12 : मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स त्रिशिराया रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एमईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**



विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि यूनिट संतोषप्रद ढंग से निष्पादन कर रही है तथा वह यूनिट के अनुमोदन की अवधि बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट धारक के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि एसईजेड नियमावली में प्रावधान के अनुसार स्ट्रैप की बिक्री को छोड़कर कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी।

**मद संख्या 13 : 5 साल के लिए प्लास्टिक यूनिटों के मंजूरी पत्र के नवीकरण के लिए नोएडा एसईजेड का प्रस्ताव**

एसईजेड में प्लास्टिक यूनिटों के मंजूरी पत्रों के नवीकरण के मुद्दे पर अनुमोदन बोर्ड में चर्चा हुई। नोट किया गया कि इन यूनिटों के मंजूरी पत्रों की वैधता अवधि इस वजह से बढ़ाई जा रही है कि इन यूनिटों में कर्मचारियों के हजारों परिवार इन यूनिटों पर निर्भर हैं। साथ ही, यह महसूस किया गया कि भविष्य में तीन से पांच वर्ष की अवधि का नोटिस देने के बाद इन यूनिटों को धीरे धीरे बंद किया जाना चाहिए। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ऐसे सभी मामलों में एक साल के लिए अवधि बढ़ाने और अंततः इन यूनिटों को धीरे धीरे समाप्त करने पर कोई राय अपनाने के लिए ईजीओएम के समक्ष मामले को रखने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 14 : 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स ब्लू क्रास इनफोटेक लिमिटेड एंड एमजीए एसोसिएट्स, केएएसईजेड का अनुरोध**

5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स ब्लू क्रास इनफोटेक लिमिटेड एंड एमजीए एसोसिएट्स, केएएसईजेड के अनुरोध पर चर्चा हुई। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी।

**पूरक एजेंडा :**

समयाभाव के कारण पूरक एजेंडा की सभी मदों की अगली बैठक के लिए आस्थगित कर दिया गया।

कर्नाटक राज्य जहां चुनाव प्रक्रिया चल रही है, से एसईजेड के प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड का निर्णय

चूंकि इस समय कर्नाटक राज्य में विधान सभा के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि कर्नाटक से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदन बोर्ड का निर्णय कार्यवृत्त में रिकार्ड किया जाएगा परंतु केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए तभी भेजा जाएगा जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस श्रेणी में प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा उन पर लिए गए निर्णयों को अलग गोपनीय अंश में दर्शाया गया।

**मद संख्या 9: मंगलौर में केआईएडीबी द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए प्रस्ताव**

अनुमोदन बोर्ड ने मंगलौर में केआईएडीबी द्वारा विकसित करने के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल को 203 हेक्टेयर से घटाकर 65.039 हेक्टेयर करने के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

**वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 16 मई, 2008 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची**

1. श्री गोपाल के पिल्लई, अध्यक्ष, अनुमोदन बोर्ड और सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्री जे के बतरा, सदस्य (सीबीईसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।
4. श्री एम विनोद कुमार, सहायक महानिदेशक (निर्यात संवर्धन), सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री जगदीप गोयल, निदेशक (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
6. श्री गुरदीप सिंह, अपर निदेशक (निर्यात संवर्धन), डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
7. श्री आर एम यादव, सहायक निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
8. श्री आर के गुप्ता, महानिदेशक (ईपी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
9. श्री सी एम पांडे, उपायुक्त, कृषि मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
10. डॉ. राकेश ए आर, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
11. डॉ. एल बी सिंघल, महानिदेशक, ईओयू एवं एसईजेड निर्यात संवर्धन परिषद
12. श्री श्रवण सिंह, अवर सचिव, रक्षा (समन्वय), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
13. श्री पवन कुमार, सहायक टीसीपी (नगर एवं कस्बा आयोजना), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
14. डॉ. एस के अग्रवाल, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
15. श्री पी के चौधरी, प्रधान सचिव (उद्योग), हरियाणा सरकार
16. श्री भाष्कर खुलबे, सलाहकार (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार
17. श्री जे वी के टी प्रभाकर राव (विशेष सचिव), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एपी सचिवालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
18. श्री राजेन्द्र चौहान, औद्योगिक सलाहकार, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
19. श्री बी एस कृष्ण प्रसाद, रेजिडेंट निदेशक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली
20. श्री प्रेम कुमार गेरा, रेजिडेंट कमिश्नर, गुजरात सरकार
21. श्री अशोक मनामी, परियोजना अधिकारी, केआईएडीबी, बंगलौर, कर्नाटक
22. श्री कुमार जयंत, कार्यपालक निदेशक, टिडको, तमिलनाडु

**विकास आयुक्तों की सूची**

23. श्री रवि एस सक्सेना विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड, गांधीधाम, गुजरात
24. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश

16 मई, 2008 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त

25. श्री अरुण कुमार बिट, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- 26.
27. डा. एम वी सुब्बा रेड्डी, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
28. श्री एस के बंसल, विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश

#### **वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची**

28. श्री अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
29. डॉ. आर के मित्रा, निदेशक, वाणिज्य विभाग
30. श्रीमती बी रवींद्रन, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
31. श्री डी एल अलवाधी, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग